>

Title: Regarding need to provide appropriate compensation to people whose lands have been acquired for construction of NH-527C in Muzaffarpur Parliamentary Constituency, Bihar - Laid

श्री अजय निषाद (मुजफ्फरपुर): एन0एच0-527 सी (मझौली-चरौत खण्ड) के निर्माण हेतु हमारे संसदीय क्षेत्र मुजफ्फरपुर अन्तर्गत मौजा–भुसरा-हसना मुख्य सड़क में पड़ने वाली अर्जित भूमि का व्यावसायिक किस्म में अधिसूचित किया गया है लेकिन भूधारयों को आवासीस किस्म के रूप में मुआवजा भुगतान के लिए बाध्य किया जा रहा है जिसका विरोध भूधारियों द्वारा किया जा रहा है जबकि जिला प्रशासन द्वारा इस दलील के साथ भूधारियों को बाध्य किया जा रहा है कि सरकार द्वारा व्यावसायिक किस्म पर नीतिगत निर्णय तक आवासीय दर से मुआवजा प्राप्त करें जो न तो नीतिगत है और न ही व्यवहारिक । यहां एक बात और भी काबिलेगौर है कि इस मार्ग में पड़ने वाली जमीन की खरीद ब्रित्रि में निबंधन कार्यालय द्वारा व्यावसायिक दर से मुद्रांक शुल्क लिया जाता है । निबंधन कार्यालय द्वारा प्रधान सड़क में पक्का भवन आर0सी0सी0 छत का 2800 रूपये प्रति स्कायर फीट राजस्व लिया जाता है और भू-अर्जन द्वारा 630 रूपये प्रति स्कायर फीट लेने के लिए बाध्य किया जाता है । भुसरा-हसना वर्तमान में विकासशील बाजार है । जिसमें जमीन का बाजार मूल्य 20 से 25 लाख रूपये कठ्ठा है । इस प्रकार के व्यावहारिक भुगतान से भूधारियों में काफी असंतोष एवं रोष व्याप्त है जिसे गंभीरता से नहीं लिया गया तो भू-धारक आंदोलित होंगे और निर्माण कार्य स्वाभाविक रूप से बाधित होगा ।

मैं सरकार से मांग करना चाहता हूं कि भूधारियों के हितों के मद्देनजर व्यावसायिक किस्म पर पहले नीतिगत निर्णय शीघ्र लिया जाए और व्यावसायिक रूप से अधिसूचि अर्जित भूमि का व्यावसायिक मुआवजा भुगतान कराया जाए ।